

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.5(3)गृह-1 / 2026 (30242)

जयपुर, दिनांक : ई-साइन

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल की वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.10.2026 की अभिशंशाओं के अनुसार विभिन्न प्रकरणों में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2018-19

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल वर्ष 2015-16 में पदोन्नत किये जाने के परिणामस्वरूप सुपरटाईम स्केल वर्ष 2018-19 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री प्रदीप कुमार रिणवा के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2020-21

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को वर्ष 2018-19 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन है। पदोन्नत अधिकारी को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेश जैन)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी/मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

